ماہنامہ

# شعاع عمل لکھنؤ

مارچ ۲۰۱۳ء

قَالَ اللّٰہُ تبارَکَ وَتعَالیٰ قَدْ جَاءَ کُمْ مِنَ اللّٰہِ نُورٌ وَکِتَابٌ مُبِیْنٌ

بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور روشن کتاب

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم



نورہدایت فاؤنڈیشن، حسینیۂ غفرانمآبؒ، چوک، لکھنؤ-۳

PUBLISHED ON 4TH SUNDAY OF EVERY MONTH
R.N.I. No. UPBIL/2004/13526
Postel Regd.No. SSP/LW/NP-75/2011-13 Dispatch Date: 2 & 6 of Every Month

# SHUA-E-AMAL

Lucknow

# शुआ-ए-अमल

हिन्दी, उर्दू मासिक पत्रिका लखनऊ

**March 2013**






**NOOR-E-HIDAYAT FOUNDATION**
Imambara Ghufran Maab, Chowk, Lucknow-3 (U.P.) INDIA, Ph.:0522-2252230

बिस्मेही तआला

वर्ष 9 — अंक 9

न्यास संस्थापन

15 जमादिउलऊला 1424 हि० / 16 जुलाई 2003 ई०

पत्रिका विमोचन

15 जमादिउलऊला 1425 हि० / जुलाई 2004 ई०

पर्यवेक्षक:

मु० र० आबिद,

**सलाहकार समिति**

- प्रोफ़ेसर अल्लामा अली मुहम्मद नक़वी, अलीगढ़
- डॉ० महदी ख़्वाजा पीरी, ईरान
- सै० हसन अब्बास नक़वी, मुम्बई
- मौलाना हसन ज़फ़र नक़वी, कराची
- प्रोफ़ेसर हुसैन कमालुद्दीन अकबर, इलाहाबाद
- कैप्टन सिकन्दर रिज़वी, लखनऊ
- सै० अहमद अब्बास नक़वी, मुम्बई
- शायरे अहलेबैत रज़ा सिरसिवी, दिल्ली
- सै० सैफ़ नक़ी नक़वी, दिल्ली
- मुहम्मद आलिम, हुसैनाबाद, लखनऊ

नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन

इस्लामी, ज्ञान व शोध

हिन्दी, उर्दू मासिक पत्रिका

मार्च 2013

# शुआ-ए-अमल

"लखनऊ"

**संरक्षक**

क़ाएदे मिल्लत मौलाना सै. **कल्बे जवाद** नक़वी साहब

**सम्पादक**

सै. मुस्तफ़ा हुसैन नक़वी 'असीफ़' जायसी

**उप-सम्पादक**

क़ायम महदी नक़वी 'तज़हीब' नगरौरी

सै० आसिफ़ अब्बास नौगांवी, हैदर अब्बास रिज़वी

**मिलने का पता**

नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन

इमामबाड़ा हज़रत ग़ुफ़रानमआब, मौलाना कल्बे हुसैन रोड, चौक, लखनऊ - 3

Phone No: 0522-2252230 Mobile No: 09335276180 — 09335996808

Per Copy 20/- Annual 200/-




R.N.I. No.
UPBIL/2004/13526





Postal Regd. No.
SSP/LW/NP-75/2008-10





**WEBSITE:**
www.noorehidayatfoundation.com
www.al-ijtihaad.com
**E_mail:**
noorehidayat@yahoo.com
noorehidayat@gmail.com


## वार्षिक अंशदान

1- यूरोप, अमरीका, कनाडाः
80 अमरीकी डालर

2- ख़लीजी मुमालिकः
60 अमरीकी डालर

3- एशिया, पाकिस्तानः
40 अमरीकी डालर

4- पाकिस्तान ज़मीनी डाकः
20 अमरीकी डालर

**लाइफ़ मेम्बरशिपः 4000/-**

# विषय सूची

**मार्च 2013 ई०**

**रबीउस्सानी 1434 हि०**


| न० | लेख व लेखक | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1. | **जिहाद (धार्मिक युद्ध)**<br>सैय्यिदुल उलमा सैय्यद अली नक़ी नक़वी ता०स० | 3 |
| 2. | **ज़िन्दगी का सिस्टम**<br>सैय्यिदुल उलमा सैय्यद अली नक़ी नक़वी ता०स० | 7 |
| 3. | **मुख्य समाचार**<br>इदारा | 15 |



**FORM-IV**

**(See Rule No-8)**

| | |
|---|---|
| 1. Place of Publication: | Noorehidayat Foundation, Imambara Ghufranmaab, Maulana Kalbe Husain Road, Chowk, Lucknow |
| 2. Periodicity: | Monthly |
| 3. Printer's Name: | Syed Kalbe Jawad Naqvi |
| Whether citizen of India: | Yes |
| Address: | 39, Jauhari Mohalla, Chowk, Lucknow |
| 4. Publisher's Name: | Syed Kalbe Jawad Naqvi |
| Whether citizen of India: | Yes |
| Address: | 39, Jauhari Mohalla, Chowk, Lucknow |
| 5. Editor's Name: | Syed Mustafa Husain Naqvi |
| Whether citizen of India: | Yes |
| Local Address: | Imambara Ghufranmaab, Maulana Kalbe Husain Road, Chowk, Lucknow |
| Permanent Address: | Mohalla Syedana, Qasba Jais, Distt. Raibareli (U.P.) |
| 6. Owner's Name: | Syed Kalbe Jawad Naqvi |
| Whether citizen of India: | Yes |
| Address: | 39, Jauhari Mohalla, Chowk, Lucknow |

I Syed Kalbe Jawad Naqvi, hereby declare that the particulars given are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Lucknow — Syed Kalbe Jawad Naqvi

Date: 29-02-2013 — Printer and Publisher

# जिहाद (धार्मिक युद्ध)

**लेखक :** आयतुल्लाहिल उज़्मा सैय्यदुल उलमा सैय्यद अली नक़ी नक़वी (ता0 स0)
**अनुवादक :** जनाब मिर्ज़ा सज्जाद हुसैन साहब (मरहूम)

### जिहाद का अर्थ

जिहाद का शब्द शाब्दिक अर्थानुसार तो ''जेहाद'' शब्द से उत्पादित (प्रतीत) होता है जिसका अर्थ है यत्न करना और जोहद से भी जिसका अर्थ है शक्ति व सामर्थ। इससे मुक़ाबले अर्थात प्रतियोगिता करने का भी अर्थ ज्ञात होता है प्रथम दशा में अर्थ है किसी से यत्न में प्रतियोगिता करना तथा दूसरी अवस्था में शक्ति एंव साहस में प्रतियोगिता।

शरीअत (इस्लामी नियमों) में वह दुष्ट मार्गियों से तलवार लेकर मुक़ाबला करने का नाम हो गया है। तथा इसी जेहाद के आदेशों का वर्णन करना ही इस पत्रिका लेखन का ध्येय है।

### ''वध/क़त्ल करना और जेहाद''

क्योंकि देश के स्वतन्त्रता संग्राम में एक संगठन ने देश के राजनीतिक नेता की संरिचता में ''आहिंसा'' के नियमों का पालन किया तथा उस विचाार ने मन तथा हृदय पर गहरा प्रभाव डाला तथा इस्लाम की जेहाद शिक्षा उन्हें इस दृष्टिकोण अहिंसा के विपरीत, विरोधी तथा प्रतिकूल ज्ञात हुई अतः उन्होंने अपनी राजनीति विचारों के साथ अपने धर्म इस्लाम को सुरक्षित रखने के लिए जेहाद के शाब्दिक अर्थ से लाभ उठाते हुए यह कहा कि जिहाद तो सत्य मार्ग में असत्य के मुक़ाबले में प्रयत्न करने का नाम है अतएव यह अहिंसा की मुक़ाबले की चीज़ भी कही जा सकती है किन्तु इसे क्या किया जाए कि पवित्र क़ुरान में ''जेहाद'' शब्द तो कम स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है, अधिकतर 'क़िताल' प्रयोग हुआ है जो स्पष्ट है कि क़त्ल करने से बना है जिसके अर्थ मार डालने के हैं। अतः इसमें अप्रत्यक्ष रूप से रक्त बहने वाले मुक़ाबले (युद्ध) ही का आशय पाया जाता है। क़ुरान में है ''तुम पर सत्य मार्ग में मरने-मारने का आदेश लागू किया गया है, ये तुमको अप्रिय एंव नापसंद है परन्तु बहुत सम्भव है कि किसी वस्तु को तुम नापसंद करते हो तथा वास्तव में वह तुम्हारे लिए भली व अच्छी हो तथा वह किसी वस्तु को तुम पसन्द करते हो परन्तु तुम्हारे लिए कष्टदायक एंव बुरी हो। कारण है अल्लाह ज्ञानी है एंव तुम अज्ञानी एंव मूर्ख''

उपरोक्त कथन में अल्लाह की ओर से जिहाद की अच्छाइयों एंव विशेषताओं की ओर संकेत है यद्यपि मानव को इसमें दोष दीख पड़ते हैं परन्तु मनुपुत्र मानव के लिए इसके परिणाम लाभप्रद एंव सुखदायक हैं।

**दूसरे स्थान पर अल्लाही कथनः-**

''सत्य मार्ग 'अल्लाही मार्ग' के प्रति युद्ध करो उनसे जो तुमसे युद्ध करें और तुम भी सीमा से आगे न बढ़ो क्योंकि अल्लाह सीमा को पार करने वालों को प्रिय नहीं रखता।''

**तीसरे स्थान पर अल्लाही वाणीः-**

''युद्ध करो ताकि परस्पर की लड़ाई झगड़े, द्वेष भावनाए समाप्त हो जाए''

**चौथे स्थान पर अल्लाह का वाक्यः-**

''तुम्हें क्या है कि नही युद्ध करते तुम सत्य मार्ग तथा अल्लाह के लिए तथा उन बलहीन पुरूषों, स्त्रियों एंव बच्चों के लिए जिन्हें कष्ट पंहुचाया जाता है तथा उनका कोई सहायक नहीं''

**पाँचवें स्थान पर क़ुरान में हैः-**

''ऐ मुहम्मद स॰ (पैग़म्बर) मुसलमानों को युद्ध करने पर उत्साहित करिए''

**छटे स्थान पर क़ुरान में हैः-**

क्रय कर लिया है मुसलमानों से उनके प्राणों एंव धन को और इसके मूल्यस्वरूप उनके हेतु स्वर्ग हैं।

वह अल्लाही मार्ग के प्रति युद्ध करते हैं अतः क़त्ल होते है एंव क़त्ल करते हैं"।

**सातवें स्थान पर अल्लाह का फ़रमान**

"और यदि मुसलमानों के दो संगठन (जत्थे) परस्पर युद्ध कर रहे हों तो दोनों में समझौता करा दो तथा यदि एक दूसरे के विरोध में बाग़ी स्वरूप हों तो उस बाग़ी 'दुष्ट मार्गी' गठन से युद्ध करो यहाँ तक कि वह सत्य मार्ग पर आ जाए"

इसके अतिरिक्त भी अनेकों स्थानों में क़िताल/क़त्ल करने, युद्ध करने का ही शब्द प्रयोग किया गया है। हां कहीं कहीं जिहाद के शब्द का भी प्रयोग है- जैसे ऐ पैग़म्बर कुमार्गियों, दुष्टों से जिहाद करिए। सत्य के लिए जिहाद करो आदि। यदि इन कथनों में शाब्दिक अर्थ के दृष्टिकोण से 'जेहाद' के शब्द को अहिंसा तलवार न उठाने आदि के रूप में ही माना जाये तो पहले दिये गये कथन इस अशुद्धि को दूर कर देंगे। फिर यह कि बहुत से कुरान के ऊपर दिये गये कथनों में "प्राणौधार धन के साथ" के भी शब्द लगे हैं तथा यह भी इस शंका का समाधान तथा इस अशुद्धि के सुधार के लिए पर्याप्त है तथा इस से सुस्पष्ट भी है कि जेहाद उस मुक़ाबले का नाम है जिस में प्राण एंव धन दोनों की बाजी लगानी पड़ती है तथा वह ही जिसे उपरोक्त कथनों में 'क़िताल/क़त्ल करने के शब्द से विभूषित किया गया है अतएव उसमें 'अहिंसा' लेखनी दारा जेहाद (मुक़ाबला)" तथा "प्रयत्न करके मुक़ाबला" आदि अर्थ निकालने का प्रयत्न केवल व्यर्थ ही है। जिहाद का यह अर्थ नहीं है।

**जिहाद पर कुछ स्पष्ट विचार**

इमामिया मिशन की "सुलह और जंग" पत्रिका में इस विषय पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है। अतएव उसका संक्षिप्त वर्णन यहां दिया जाता है।

जिस प्रकार विभिन्न समस्याओं पर प्रत्येक मनुष्य अलग अलग विचार रखता है, उसी प्रकार समझौता मेल एंव युद्ध के विषय में भी मानव दो वर्गों में विभाजित हो गये हैं। एक ओर तो हिटलर वाला दृष्टिकोण कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य युद्ध के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता तथा दूसरी ओर कुछ संगठनों व जातियों का 'अहिंसा' वाला ध्येय कि चाहे जो कुछ हो कभी तलवार हाथ में न लो तथा रक्त न बहाओ।

यह दोनों शिक्षाएं अपने असाधारण रूप के कारण मनुष्यता के लिए लाभप्रद एवं हितकारी नहीं हो सकती। यदि प्रत्येक मनुष्य एवं हर एक संगठन यह विचार कर ले कि हमें दूसरे से मुक़ाबला करना चाहिए तथा सदैव युद्ध करते रहना चाहिए तो क़त्ल एंव हत्या का एक सिलसिला स्थापित हो जाएगा एंव अति शीघ्र समस्त मानव मृत्यु के घाट उतर जाएंगे।

इसी प्रकार केवल अहिंसा भी मानव के लिए हितकारी नहीं। अहिंसा में सुधार की शक्ति उसी समय तक है जब तक विरोधी दल में इतनी मानवता है कि वह धैर्य एंव सहनशीलता का आदर करें परन्तु यदि विरोधी इन (धीरता सहनशीलता) आदि से प्रभावित होने योग्य नहीं रहा तो ऐसी स्थित में अहिंसा, अत्यधिक हिंसा का कारण बन जाती है। एक गाल पर थप्पड़ पड़ने के बाद दूसरा गाल बढ़ाने पर यदि विरोधी इतना सभ्य है कि लज्जित होकर हाथ हटा ले तथा उसको मारने के बाद दूसरों पर हाथ न उठाए तो इस रूप में यह कार्य प्रशंसनीय होगा किन्तु एक गाल पर मारने के बाद दूसरा गाल बढ़ाने पर यदि वह ऐसा दुष्ट है कि गर्दन ही उड़ा दे तथा फिर तलवार लेकर दूसरे मनुष्यों पर आक्रमण कर दे तो उसका यह कार्य उचित न होगा बल्कि दूसरे मनुष्यों के प्राण लेने का उत्तरदायी भी होगा।

वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार संसार मे दो वस्तुएं प्रचलित एंव प्रयोग में लाई जाने वाली हैं, एक धैर्यशक्ति एंव दूसरे दमन-शक्ति। वैसे ही मनुष्य के लिए अवसर तथा समयानुसार दोनों ही शक्तियां आवश्यक होती है (समझौता भी एंव युद्ध भी) किन्तु दमन-शक्ति उस समय प्रज्वलित होती है जिस समय कोई अप्रिय अवसर अथवा वस्तु सामने आती है तथा यह मानवीय प्रकृति है अतएव समझौता करना ही श्रेष्ठ है एंव युद्ध उस समय उचित है जब कि यथासम्भव समझौता तथा मेल मिलाप हो ही न सके अतः शक्ति के हेतु इस प्रश्न की आवश्यकता नहीं होती कि यह क्यों है तथा युद्ध के हेतु इस वादविवाद की ज़रूरत नहीं कि वह किस लिए

है और यदि कोई उचित कारण न हो तो वह युद्ध धिक्कार योग्य हो सकता है।

अतएव पवित्र कुरान, जिसकी शिक्षाओं का विशेष गुण "माध्यमिकता" अवसरानुसार युद्ध की आज्ञा दी है परन्तु प्रत्येक स्थल पर इसे "अल्लाह के प्रति" शब्दों के साथ बाध कर दिया है ताकि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हो जिससे अल्लाह भी प्रसन्न हो तथा ऐसे ही युद्ध का धार्मिक जेहाद नाम से विभूषित होना उचित होगा।

**युद्ध के भेद**

युद्ध के साधारण रूप से 3 भेद हैं:

(1) मुदाफिआना जंग (अहिंसा द्वारा युद्ध) (2) जवाबी जंग, (उत्तर स्वरूप युद्ध), (3) इबतिदाई जंग (बेजोड़ एवं अत्याचार पूर्ण युद्ध)।

प्रथम प्रकार का युद्ध जिसमें केवल अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है। असंभव एवं मानव स्वभाव प्रकृति के प्रतिकूल है।

दूसरे प्रकार का युद्ध (उत्तर स्वरूप युद्ध) उस समय तो अवश्य दोषपूर्ण है जब विरोधी दल जिसने कभी हम पर आक्रमण किया था अपने उन विचारों एवं भावनाओं को छोड़ बैठा जो युद्ध होने के कारण थे एवं उसको अपने पूर्व किये गये कार्य पर पश्चयाताप भी हुआ हो इस अवस्था में उसके पूर्वभूत किसी आक्रमण का उत्तर देना बदला लेने की भावना का अशुद्ध प्रयोग होगा। यदि उसने हम पर आक्रमण एक बार किया है तथा अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है तो उत्तरस्वरूप (जवाबी) युद्ध अनुचित न होगा। यदि संसार में जुर्म करने के दंड नियत हैं तथा बदला लेना ठीक है तो इस प्रकार का कार्य भी उचित है इस शर्त के साथ कि उन ही सीमाओं के भीतर रहे कि जिन सीमाओं में विपक्षियों (विरोधियों) ने हमारे साथ किया था अतः पवित्र कुरान में ऐसे अवसर पर यह प्रतिबन्ध लगा है "उसके विरोध में उतनी ही विरोधता से काम लो जितना उसने तुम्हारे साथ किया।"

तीसरे प्रकार का अर्थात अत्याचार पूर्णयुद्ध उस पर यदि विहंगम दृष्टि डाली जाये तो यह ज्ञात होगा कि वह किसी भी रूप से उचित नहीं है। किन्तु कल्पना कीजिये आप सशक्त है तथ आप को ज्ञान है कि कोई मनुष्य अथवा संगठन कुछ सज्जनों का रक्त बहा रहा है या किसी दूसरे प्रकार से महान उद्देश्यों का दमन कर रहा है तो आप थोड़ी हिंसा क्रूरता से उस संगठन का दमन कर, मानव जाति पर कृतज्ञता ही करेंगे उसकी गणना अत्याचारों हिंसा आदि में न होगी तो क्या कारण है आप का ऐसा करना उचित न हो तथा उन दोषों के निवारणार्थ उन मनुष्यों का अन्त न कर दिया जाये जो इन दोषों के उत्तरदायी हैं। तो ज्ञात हुआ कि अत्याचार पूर्ण युद्ध भी लाभकारी सिद्ध होता है यदि उसका प्रयोग उचित अवसर पर किया जाये।

**"अल्लाह के प्रति" का आशय**

पवित्र कुरान में प्रत्येक स्थल पर क़त्ल करने को "अल्लाह के प्रति (फी सबीलिल्लाह)" के साथ कहा है। इसका आशय यह है कि युद्ध उन उद्देश्यों, विशेषताओं एंव शिक्षाओं को सुरक्षिता एंव बचाव के कारण हो जो अल्लाह को पसन्द हो। इससे आशय यह है कि कोई ऐसा युद्ध उचित नहीं हो सकता जो केवल किसी मनुष्य अथवा संगठन अथवा जाति की शक्ति एंव अधिकार-प्राप्ति के प्रति हो जब तक उसमें सत्यता विद्यमान न हो तथा वह अल्लाह के प्रति न हो।

**सत्य मार्ग की खोज में कठिनाई**

सबील (मार्ग) के क्या अर्थ है? रास्ता जिसकी ओर संकेत हो वह समझना चाहिए जैसे "तरीकुल बसरा" अर्थात बसरे का मार्ग। हमारे यहां लखउऊ का मार्ग, बम्बई का मार्ग, आदि। इस सब का क्या अर्थ? यह कि उस मार्ग पर चलकर हम अभीष्ठ स्थान पर पहुँचते हैं। अब यह तो मार्ग (स्थान) सभी भौतिक हैं अतः मार्ग भी भौतिक एंव नाशवान के रूप में हैं जिन्हें शारीरिक पैरों से तय किया जाता है किन्तु वहां क्या है? सबीलिल्लाह 'अल्लाह-मार्ग' तो इस से क्या तात्पर्य? वह मार्ग जिस पर चलकर अल्लाह की प्राप्ति हो, अल्लाह क्योंकर मिलेगा अर्थात उसकी इच्छा प्राप्ति हो, तो यह मार्ग कब कोई भौतिक (नाशवान) मार्ग होगा। यह आचरण, सभ्यता एंव चरित्र का वह स्थान होगा जो अल्लाह की इच्छा के अनुरूप हो। अल्लाह की इच्छा का ज्ञान यदि सरल कार्य होता है तो पैग़म्बरों आदि के आने की आवश्यकता ही क्या थी? पैग़म्बरों के आने का प्रमुख

ध्येय ही यह था कि वह अल्लाह की इच्छा से संसार को परिचित करायें फिर जब साधारण आदेशों का प्रचार हो चुका हो तब भी विशेष अवसर पर उन त्रुटियों का होना सम्भव है अब जितना ही अवसर विशेष हो उतनी ही त्रुटि भयानक एंव कष्टदायक होगी।

जिहाद में एक दो मनुष्यों के प्राणों एंव धन का प्रश्न नहीं होता अपितु अनेकों मनुष्यों एंव अत्यधिक धन की हानि का प्रश्न होता है। एक तो अपने प्राण ही अमूल्य है जिसकी सुरक्षिता एंव बचाव के प्रति इस्लामी नियमों के स्पष्ट आदेशों में बहुधा वर्णन किया गया है फिर दूसरों के प्राणों तथा वह घमासान युद्ध जिसका परिणाम बहुधा अनन्त एंव अगणित मनुष्यों की मुत्यु हुआ करता है तथा उत्तर स्वरूप तथा उत्तरोत्तर स्वरूप युद्धों से तो प्राण एंव धन हानि की जिस अधिकता से हानि होती है वह अवर्णनीय एंव स्वयंसिद्ध है। ऐसे स्थान पर छोटा सा दोष अत्यधिक हानि का कारण हो सकता है। अतः जिहाद के विषय को नमाज़ रोज़े की भांति प्रत्येक धर्म-पण्डित (मुजतहिद) के व्यक्तिगत विचारों पर ही नहीं छोड़ना चाहिए जिस में यदि द्वोष भी हो खोज-द्वोष (ख़ताए इज्तेहादी) का शब्द क्षमा के लिए पर्याप्त है। अतः शिया वर्ग में जो वास्तविक इस्लामी नियमों का पालन करता है तथा जिसका निर्माण हज़रत मुहम्मद तथा उनके सम्बन्धियों की शिक्षाओं एंव आदेशों के अनुसार हुआ है केवल जिहाद के इस भेद को जिसमें पानी सर चढ़ जाने पर मुक़ाबला करना होता है जिसका नाम दमन (दफ़ा) है को छोड़कार अन्य हो। शोणत बहने की सम्भावना हो बिना किसी इमाम या धार्मिक मार्ग दर्शक अर्थात पैग़म्बर के नहीं कर सकते। अतएव शियों में एक मत हो कर कहा गया हैः-

**इमाम के गुप्तत्व काल (ग़ैबत) में जिहाद हराम (निषेध) है।**

**"दमन (दिफ़ा) के भेद"**

दमन (दिफ़ा) जो कभी उचित और कभी अनिवार्य है। इसके कुछ रूप हैः-

(1) अपने या अपने सम्बन्धियों के प्राण एंव धन या आदर आदि पर कोई आक्रमण करे तो उसका दमन (दफैया)

(2) हमें ज्ञान हो कि किसी सच्चे मुसलमान या सच्चे मुसलमान के संगठन पर कोई प्राण लेने के विचार से आक्रमण कर रहा है तथा वह स्वयं मुक़ाबला करने का सामर्थ्य नहीं रखते तो उनकी सहायता के लिए बढ़ना।

(3) इस्लामी देशों जैसे अरब तथा इराक़ पर कोई ग़ैर मुस्लिम शक्ति आक्रमण करे तो उसका मुक़ाबला समस्त मुसलमानों पर अनिवार्य है यदि स्वयं देशवासी सामर्थ्य रखते है तो उन पर अनिवार्य है यदि वे पर्याप्त न हों निकट देशों के समस्त मुसलमानों पर जहां जहां तक शक्ति प्राप्त होने की आवश्यकता हो, दमन (मुक़ाबलो) में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

यह अनिवार्य है परन्तु कुछ छूट के साथ अर्थात जब तक कुछ ऐसे मनुष्य जिनमें शक्ति है इस कर्तव्य को न निभायें सब पर अनिवार्य रहेगा तथा सब ही पाप भोगी होंगे यदि सहायता न करेंगे। हां जब कुछ मनुष्य इस कर्तव्य को निभा दें तो शेष सब लोग बच सकते हैं अर्थात अब उन पर अनिवार्य नहीं रह जाता।

**हिजरत (स्थान परिवर्तन)**

ग़ैर मुस्लिम अधिक जनसंख्या वाले देशों एंव स्थानों को अपने धर्म बचाव के लिए चले जाने का नाम हिजरत (स्थान परिवर्तन) समझते है।

आधुनिक युग में हिजरत के शब्द का बहुत अधिक अशुद्ध प्रयोग होने लगा है।

इस शब्द का तात्पर्य कभी किसी लालच या लोभ से स्थान परिवर्तन नहीं है। हिजरत (स्थान परिवर्तन) केवल उसी अवस्था में अनिवार्य है जब किसी स्थान पर मनुष्य अपने धार्मिक कर्तब्यों जैसे नमाज़, रोज़ा आदि की पूर्ति करने में समर्थ न हो तो ऐसे खुले हुए स्थान की ओर प्रस्थान करना अनिवार्य है जहां वह स्वतन्त्रता पूर्वक अपने धार्मिक कार्यों एंव कर्तव्यों का पालन कर सके। इसके बिना हिजरत (स्थान परिवर्तन) अनिवार्य नहीं। बल्कि यदि स्वार्थ से काम लेकर उसका प्रस्थान दूसरे मुसलमानों के लिए कष्टदायक तथा उनके धार्मिक कार्यो को हानि पहुँचाने का कारण बने तो यह निःसंदेह अल्लाह का प्रिय न होगा तथा उस पर हिजरत शब्द का नाम देना इस पवित्र नाम का वास्तव में अनादर होगा।



**(इमामिया मिशन लखनऊ का प्रकाशन नं० 306)**

# ज़िन्दगी का सिस्टम

**लेखक : आयतुल्लाहिल उज़मा सैय्यिदुल उलमा सै0 अली नक़ी नक़वी ताबा सराह**
**सम्पादन : नूरे हिदायत फाउण्डेशन**

*क़िस्त* 10

**पानी की क़िसमें**

पानी भी एक ऐसी चीज़ है जिस पर अक्सर हालात में नजासत का असर नहीं पड़ता । नीचे दी जा रही बातों पर ग़ौर करें :-

1. (बारिश) बरखा का पानी : यानि बादल से बरसता हुआ पानी।

2. बहता पानी : यानि वह पानी जिसका कोई ख़जाना (सोता) हो और वह उससे सोतों आदि की तरह बराबर उबलता और बहता रहता हो, - समन्दर, दरिया, सोते, कुएँ, पहाड़ों से निकलने वाले झरने और जो भी इस तरह की चीज़ें हों वो सब इसमें आते हैं।

3. बहुतात का पानी : यानी वह पानी जिसका कोई ख़जाना तो न हो मगर कम से कम एक " कुर " के इतना हो। कुर इतना पानी है जो एक ऐसे बर्तन को भर दे जिसकी लम्बाई, चौड़ाई और गहराई तीन तीन बालिश्त हो । और कुल मिलाकर (आयतन Volume) सत्ताइस (27) घन बालिश्त होती हो।

अनुवादक का नोट :- आयतुल्लाह सीस्तानी के नज़दीक - हर एक साढ़े तीन बालिश्त हो, और कुल मिलाकर 42.87 बालिश्त होना ज़रूरी है । लेकिन ज़ाहिर ये है कि अगर 36 बालिश्त भी हो तो काफ़ी है ।

इन तीनों क़िस्मों का हुक्म ये है कि इन पर नजासत का असर नहीं पड़ता यानी किसी नजासत के मिलने से इनमें नजासत नहीं पैदा हाती, जब तक उस नजासत की वजह से इनका रंग या बू या मज़ा न बदल जाए । अगर नजासत की वजह से इनका रंग या बू या मज़ा कोई एक भी बदल जाए, तो नजिस हो जाएगा ।

ग़ौर कीजिए तो दुनिया में हर जिस्म की गन्दगी और नजासत को दूर करने का ज़रिया पानी है । अब अगर पानी खुद ही नजासत की वजह से नजिस हो जाया करता तो फिर नजासतों के दूर करने का ज़रिया ही क्या होता । हां अगर नजासत इस हद तक हुई कि पानी की ख़ासियत ही को बदल दे यानी वही बात कि इसके रंग या बू या मज़े को बदल दे तो इसका मतलब यह है कि पानी की मुक़ाबले (प्रतिरक्षा) की सकत नजासत के आगे हार गई यानी पानी नजिस हो जाएगा ।

अब अगर बहता पानी (दरिया, सोत वग़ैरह का पानी) या बरखा (बारिश का पानी) है और इसका सिलसिला जारी है तो चूँकि इसे बराबर मदद पँहुच रही है तो जैसे ही इसकी प्रतिरक्षा की सकत वापस आ जाए यानी नजासत का मैदा किया बदलाव दूर हो जाए, तो फ़ौरन वह पानी भी पाक हो जाएगा । लेकिन अगर ठहरा हुआ पानी है यानी उसको खुद कहीं से मदद नहीं पहॅुच रही है तो ज़रूरत है कि आप उसको मदद पहॅुचाइए यानी नजासत दूर करने के साथ उसमें एक 'कुर' पाक पानी डालिए, तब वह पाक हो जाएगा।

**मुज़ाफ पानी (मेल मिलावट वाला पानी कहने को पानी)**

अभी तक उस पानी का बयान हो रहा था, जो असल में खरा " पानी " कहा जा सकता है । लेकिन कुछ ऐसी बहनें वाली चीज़ें द्रव हैं जिन्हें अक्सर पानी कह तो दिया जाता है मगर देखा जाए तो उन्हें 'पानी' कहना सही नहीं है जैसे - ख़ास चीज़ों का रस, निचोड़ा हुआ अर्क़, (गुलाब, केवड़े आदि का पानी, तरबूज़ का पानी या शोरबा वग़ैरह इनको "मुज़ाफ पानी" कहते हैं, ये चाहे कितना ही ज़्यादा हों नजासत के मिलने से फ़ौरन नजिस हो जाएंगे।

बेशक अगर इस तरह की भी कोई बहने वाली चीज़ बहते पानी की तरह हो, यानी ज़मीन में उसका कुदरती ख़ज़ाना हो और वह खुद ब खुद उबलती हो जैसे तेल के चश्में जो कुदरत की तरफ़ से ज़मीन के

हवाले किये गये हैं । इनके बारे में फ़िकह (धर्म शास्त्र की) किताबों में कोई बयान मेरी नज़र से नहीं गुज़रा ।

शरीयत के हुक्म में अपने जी से कोई फ़तवा नहीं दिया जा सकता । दिल ये कहता है कि इस तरह की चीज़ें पाक करने वाली चीज़ों में तो नहीं होंगी क्योकि पाक करने का ज़रिया सिर्फ़ पानी है और ये पानी के असली मानी से अलग हैं, लेकिन नजासत के मिलने से ये नजिस भी नहीं होंगी क्योंकि इनका अपने सोते (उबलने, निकलने की जगह) से जुड़ा रहना और लगातार जारी रहना इनकी इतनी हिफ़ाजत तो ज़रूर करेगा। फिर भी जब तक कोई शरीयत वाली दलील सामने न हो इसके बारे में कोई फैसला नहीं किया जा सकता है।

**पाक होने का वक़्त**

ऊपर बयान की गयी नजासतों के बारे में शरीयत की तरफ़ से ये मनाही तो हो ही नहीं सकती थी कि तुम्हारा जिस्म या कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से गन्दा हो जाता है जो ज़िन्दगी की ज़रूरतों में शामिल हैं और अक्सर अन्जाने में या इत्तेफ़ाक़ से हो जाता है जो खुद अपने बस में नहीं होता फिर ये हुक्म दिया जाना कि जैसे ही जिस्म नजिस हो, बस फ़ौरन उसे पाक करो, ये बहुत ही मुश्किल था। ख़ासतौर से अरब के ऐसे मुल्क में जहाँ अक्सर पानी नायाब होता था और बड़ी मुश्किल से मिलता था इसलिए ृरीयत ने अपने हकीमाना तरीक़े से इस पाबन्दी को दूसरे तरीक़े से लागू किया और वह ये कि कुछ ज़िन्दगी की ज़रूरतों और मज़हबी ज़रूरतों के साथ 'पाकीज़गी' की शर्त लगा दी। एक तरफ़ खाने पीने में पाकीज़गी की ज़रूरत, ये ज़िन्दगी की ज़रूरतों में है, दूसरी तरफ़ नमाज़ में पाकी की शर्त ये मज़हबी ज़रूरतों में शामिल है।

अब एक इन्सान का हाथ नजिस है तो वह उस हाथ को नजिस रखे, मगर खाना खाने के लिए उसे हाथ को पाक करना ज़रूरी होगा और जिस्म या कपड़ा नजिस हो तो वह नजिस रहे मगर नमाज़ पढ़ते वक़्त उस जिस्म या कपड़े का पाक करना ज़रूरी होगा। इसी तरह एक मुसलमान एक दिन या एक रात भी हरगिज़ नजिस हालत में बाक़ी नहीं रह सकता और अगर वह शरीयत का पाबन्द है तो उसे उसी बीच में अपने आपको और अपने कपड़े को पाक कर लेना ज़रूरी है।

**पाक करने वाली चीज़े**

आपको मालूम हो चुका है कि कुछ चीज़ें अपने से नजिस हैं और ये अपने आप में रहते हुए, कभी पाक हो ही नहीं सकतीं, हाँ ये हो सकता है कि इनका आपा मिट जाए तो नजासत भी ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक नजिस दाना अगर पौधे में बदल जाए या शराब सिरके में बदल जाए। तो वह पाक है, मगर इसको पाक होना नहीं कहते।

इसे 'इस्तेहाला' (असलियत का बदल जाना)कहते हैं और 'इस्तेहाला' पाक करने वाली चीज़ें में है। 'इस्तेहाला' यानी किसी चीज़ की असलियत का इस तरह बदल जाना कि नजिस चीज़ बाक़ी ही ना रहे। जैसे - कुत्ता नमक "के टब" में गिर कर नमक बन जाए या जल कर राख हो जाए या उससे धुँवा या भाप बने, तो ये नमक या राख, धुँवा और भाप पाक समझा जाएगा, क्योंकि नजिस 'कुत्ता' था और वह अब बाक़ी नहीं रहा। शराब का सिरका बन जाना और इन्सान के ख़ून का मच्छर के पेट मे जाकर उसका खून कहा जाना और काफ़िर का मुसलमान बन जाना। ये सब बातें 'इस्तेहाला' में शामिल की जाएंगी यानि उस चीज़ का बाक़ी ही ना रहना जो नजिस थी। जिस वक़्त कुत्ता 'नमक' बन गया तो अब कुत्ता रहा ही नहीं जो नजिस था अब ये नमक है और नमक को शरीयत ने नजिस नहीं कहा है। इसी तरह शराब सिरका हो गई तो अब शराब नहीं रही अब वह सिरका है जो शरीयत की नज़र में पाक है। नजिस क्या है ? इन्सान का खून लेकिन अब ये मच्छर या खट्मल का ख़ून है, लिहाज़ा पाक है। नजिस कौन है ? जो काफ़िर हो, लेकिन अब ये काफ़िर नहीं मुस्लिम है इसलिए पाक है।

यूँ तो ज़्यादा उलेमा 'इस्तेहाला', इन्क़ेलाब, इन्तेक़ाल (असल जगह का बदलना) और इस्लाम को अलग-अलग मोतह्हरात माना है, मगर गहरी सूझबूझ से इन सब बातों को एक अक़्ली फ़ार्मूला में लाया जाना चाहिए।

अब रह गयीं वह चीज़े कि जिन में वक़्ती तौर पर नजासत पैदा हुई है, उनमें भी एक सूरत ये है कि

वह चीज़ ही पूरी तरह मिट जाए कि आम नज़रों में उसे 'नहीं' होना समझ लिया जाए जैसे नजिस लकड़ी का जल कर राख हो जाना, आम नज़रों में ये वह है जिसमें चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ऐसी हालत में उसकी नजासत भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी सूरत ये है कि वह चीज़ बाक़ी रहे और उसके होते हुए नजासत दूर हो जाए। असल में इसी का नाम पाक हो जाना है और जिन चीज़ों से ये बात आ जाये उन्हें पाक करने वाली चीज़ें कहते है। इनमें सबसे अहम पानी, सूखी ज़मीन और धूप है।

**पानी**

सबसे ज़्यादा आसान टिकाऊ और हर जगह होता है। कुदरत नेचर ने इसे हर जगह पैदा किया है और दुनिया में पानी पाने के बहुत से ज़रिये पैदा किये हैं।

ये हर चीज़ को पाक करता है, लेकिन ये अगर खुद नजिस हो जाए तो उसको पाक करने वाली उसी के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती।

**सूखी ज़मीन**

इससे सिर्फ़ वह चीज़ें पाक हो सकती हैं, जो आदत से ज़मीन पर इधर उधर फिरा करती हैं, जैसे जूते का तल्ला उनके लिए जो जूते पहन कर चलते हैं और पॉव का तलवा उन लोगों के लिए जो नंगे पॉव चलने के आदी हों, और वह लकड़ी जो किस पैर कटे इन्सान के लिए पॉव की लगी हुई हो और मोटर गाड़ी वग़ैरह के पहिये और इसी तरह की सारी चीज़ें। जब इनमें चलते फिरते नजासत लग जाए तो उसी चलते फिरते की हालत में नजासत छूट जाने के बाद वह पाक हो जाएगी। इस हुक्म में ज़मीन के सोख लेने की ख़ासियत के अलावा इन्सान की सहूलत को भी नज़र में रखा गया है। चलने में हर तरह की ज़मीन पर चलना पड़ता है, इन्सान के लिए बहुत मुश्किल है कि हर समय वह रास्ते में इस बात का ख़्याल रखे कि उसका पैर कब और किस जगह नजिस हो गया। इसके बाद जब भी वह चल कर कहीं पहुँचे तो जूते का तल्ला वग़ैरह पानी से पाक करना ज़रूरी समझे, ये भी मुश्किल काम है। फिर अगर आपका पैर नजिस ही समझा जाए तो जहाँ-जहाँ आप जायें वह ज़मीनें भी नजिस होती जाएँ, लेकिन चूँकि ज़मीन के पाक करने वाली चीज़ है इस वजह से ये सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं।

**धूप**

इसका भी घेरा सीमित है, इससे वह चीज़ें पाक होती हैं जो आमतौर से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जायी जातीं, जैसे - ज़मीन, दीवारें, दरवाज़ा, ज़मीन से उगने वाली चीज़ें, खेती, पेड़, पौधे और फल जो पेड़ों पर लगे हैं और इसी तरह की सारी चीज़ें। ये अगर नजिस हो जाएँ और इनमें तरी हो कि जिसे धूप सुखा दे तो वह पाक हो जाएगी। ये भी आम लोगों के फ़ायदे और सहूलत के लेहाज़ से है। अक्सर इस क़िस्म की चीज़ों तक पानी का पहुँचाना कठिन होता है इसलिए आसानी के लेहाज़ से ये क़ानून लागू किया गया है।

इन्सान के जीवन सिस्टम के सुधार और आसानी में इन मुतह्हरात (पाक करने वाली चीज़ों) का बहुत बड़ा दख़ल है। इन के अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो बहुत ही सिमटे दाएरे में मुतह्हरात पाक करने वाली चीज़ें ठहराई गयी हैं, जैसे नजासत खाने वाले जानवर को कुछ दिनों तक इस तरह बन्द रखना कि वह सिर्फ़ पाक चीज़ें खाएँ उसके पसीने की पाकीज़गी के लिए। पत्थर और ऐसी ही सख़्त चीज़ जो नजासत को दूर कर दे, इसतिन्जा की ख़ास सूरतों के लिए। 'तबयीयत' (लगाव, साथ) यानि किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ पाक हो जाना, जैसे शराब सिरका हो जाए तो वह बरतन जिस में शराब रखी थी पाक हो जाए या काफ़िर मुसलमान हो जाए तो उसका बच्चा उस वक़्त से मुसलमान समझा जाए।

**शक की हालतों का हुक्म**

पाकी और नजासत के बारे में अगर इन्सान के लिए यक़ीन पा जाने की शर्त लगाई जाती तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। अगर ग़ौर कीजिए तो ज़िन्दगी की रोज़मर्रा की ज़रूरतों में सैकड़ों चीज़ें इस्तेमाल करना पड़ती हैं जिनके बारे में कुरान उठा कर पाकी का दावा नहीं किया जा सकता, जिन चीज़ों को आप सूखी समझ कर उनके नजिस होने के बारे में सोचते भी नहीं उनमें नजासत का शक पाया जाता है।

आप आटा, दाल, चावल बाज़ार से लेते हैं मगर जब गेहूँ, चना, धान, खेतों से काटा गया तो क्या आप देख रहे थे कि कौन सा हाथ किस हालत में उससे लग रहा था? फिर किन हाथों से वह भिगोया गया, कैसे हाथों से वह पीसा गया, उस वक़्त तक कि जब तक आपके हाथ में आया कितने हाथ उसमें लगे जब आपको ये मालूम नही तो फिर आप उस आटे, दाल वग़ैरह को यक़ीनी तौर पर पाक कैसे समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पाकीज़गी के लिए यक़ीन की ज़रूरत समझिये तो ज़िन्दगी से हाथ धो लीजिए। इन सूरतों को सामने रखते हुए शरीयत की तरफ़ से एक क़ानून बनाया गया है और वह ये है कि -

''हर चीज़ को पाक समझो जब तक उसके 'नजिस' का 'यक़ीन' ना हो जाए''। यक़ीन के क्या मानी हैं ? जिसमें किसी शक की गुन्जाइश ना हो। अगर आपके नज़दीक ज़रा सा भी पाकी की सम्भावना या शक हो, तो आप उस से फ़ायदा उठाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। धर्म की तरफ़ से आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी लागू नहीं होगी।

बेशक दो सूरतें ऐसी हैं जिनमें नजासत के शक होने पर रास्ते का रोड़ा होता है -

पहली सूरत ये है कि किसी चीज़ के बारे में आपको मालूम हो कि ये पहले नजिस थी तो अब उसके पाक होने का यक़ीन ज़रूरी होगा यानि मालूम करना होगा कि वह चीज़ पाक हुई या नहीं। सिर्फ़ ये कि शायद पाक हो गयी हो' इससे काम नहीं चलेगा।

दूसरी ये कि दो-तीन ऐसी चीज़ें जिनमें से हर एक का आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है, और आपको यक़ीन है कि इनमें से कुछ चीज़ें नजिस ज़रूर हैं मगर यक़ीन ना हो कि कौन सी, तो ऐसे में आपको सबसे दूर रहना ज़रूरी होगा।

**एहतियात या सावधानी (बचना) और वसवसा**

एहतियात बहर हाल अच्छी चीज़ है मगर शर्त ये है कि वसवसे की हद तक ना पहुँच जाए।

एहतियात का बीच का रास्ता ये है कि ऐसी चीज़ जिसमें नजासत की बहुत ज़्यादा उम्मीद हो उससे परहेज़ किया जाए। जैसे - वह हलवाई जिसको आप ने देख लिया कि वह हिन्दू से सारी चीज़ें यानि दूध, घी वग़ैरह ख़रीदा करता है अब उसके यहाँ की चीज़ों से आप परहेज़ कीजिए चाहे ख़ास तौर पर उस चीज़ के नजिस होने का यक़ीन ना हो। यानि ये शक हो कि शायद इस मिठाई में मुसलमान के यहाँ का दूध, घी इस्तेमाल किया गया हो, फिर भी एहतियात ये है कि उससे परहेज़ किया जाए। मगर वसवसे की हद ये है कि आप किसी चीज़ की नजासत के लिए बिलावजह के शक अपने दिमाग़ में पैदा करें। यानि अगर एक शीया मोमिन आपकी दावत करता है मगर आप उसके यहाँ के खाने से सिर्फ़ इसलिए परहेज़ करते हैं कि शायद उसने ग़ैर-मुस्लिम के यहाँ की चीज़ें मंगवाई हों या शायद उसके नौकर ने अन्जाने में ग़ैर-मुस्लिम के यहाँ से ख़रीदारी कर ली हो। आप किसी के घर मिलने के लिए जाते है उसके यहाँ फ़र्श पर बैठने में हिचकिचाते हैं कि शायद ये फ़र्श नजिस हो, कोई मोमिन आदमी आपसे मिलने के आता है आप अपने बैठने का बिछौना समेट लेते हैं कि कहीं उसके कपड़े नजिस न हों। आपसे कोई मुसलमान हाथ मिलाना चाहता है, आप अपना हाथ खींच लेते हैं कि कहीं नजासत मेरे हाथ में न लग जाए। रास्ता बिल्कुल सूखा है कीचड़, तरी का नामनिशान भी नहीं है मगर आपको चिन्ता रहती है कि कहीं छींट न पड़ जाए इसलिए दामन उठाए और कपड़े समेटे हुए रास्ता चलते हैं। पेशाब को पाक करने के लिए एक लोटा काफ़ी नहीं होता और ज़रा सा हाथ पाक करने के लिए सर से पैर तक हौज़ में जाने की ज़रूरत पड़ती है। ये है 'वसवसा' जिसको लोग पाकी समझ कर अपनाते हैं मगर शरीयत में पाकी का जो हुक्म बयान किया गया है उससे इसका कोई लगाव नहीं है।

ये लोग अपनी ज़िन्दगी तबाह करते हैं और दूसरों के लिए भी परेशानी की वजह बनते है। मासूम (अ०) ने इस क़िस्म की 'एहतियात' या पाकी को शैतानी काम का नाम दिया है और इसे छोड़ने के लिए सख़्ती से बयान किया है।

ग़ौर कीजिए अब्दुल्लाह बिन सेनान की रवायत। कहते हैं कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ (अ०) से एक शख़्स का बयान किया जो समझदार होते हुए वजू किया

करता है और नमाज़ पढ़ता रहता है यानि वसवसे की वजह से घण्टों में वज़ु और नमाज़ पूरी करता है, हज़रत (अ०) ने फ़रमाया - " कैसा समझदार है वह कि शैतान के कहने पर चलता है।"

अब्दुल्लाह बिन सेनान को ताजुब हुआ, कहा "ये कैसे? "आप (अ०) ने फ़रमाया कि उससे खुद पूछ ले कि वह जो कुछ करता है किसके हाथों हैं, वह कहेगा कि शैतान के हाथ से परेशान हूँ।

सच्चाई ये है कि ये वसवसा रखने वाले अक्सर खुद अपने हाथों परेशान भी होते हैं। लेकिन फिर भी वह अपने रवैये को बदल नहीं पाते। ताजुब न कीजिए कि अक्सर पढ़े-लिखे लोग इस तरह के वसवसे का शिकार कैसे हो जाते है, क्योंकि ये तो एक मान्सिक असन्तुलन है, और ज़ाहिर है कि बीमारी जाहिल और जानकार को नहीं देखती। फिर शैतान की पालीसी भी ये है कि वह हर इन्सान को उसी रास्ते से बहकाता है जिधर उसके मन का मिलान ज़्यादा होता है। शरीयत का एक पाबन्द इन्सान दूसरे गुनाहों को अन्जाम नहीं देता तो वह वसवसे में गिरफ़्तार होके कई अच्छे कामों को अन्जाम नहीं दे पाता। मुबारक हैं वह लोग जिन्हें अपनी इस कमज़ोरी का एहसास है, और वसवसे में गिरफ़्तार लोग उनके लिए ज़रूरी है कि वह जल्दी ही अपने जी पर ज़बरदस्ती करके अपने आपको रोकें और, अपने ख़्याल में खुद कुछ दिन 'नजासत' से बेपरवाह हो जाएँ तो उम्मीद है कि धीरे-धीरे सीधे रास्ते पर आ जाएँ। (खुदा सब को बीच रास्ते पर बाक़ी रहने की तौफ़ीक़ दे)।

**शरीयत वाली पाकी** (यानि वुज़ु, गुस्ल और तयम्मुम)

जिस्म और कपड़े को सारी नजासतों से पाक करने के बाद नमाज़ के लिए एक ख़ास तरह की पाकी की ज़रूरत है जो शरीयत के बताए हुए तरीक़े से पैदा होती है उसका ज़रिया वुज़ु और गुस्ल है और इन दोनों के न हो सकने की हालत में 'तयम्मुम' जो इनका बदल है। ये नमाज़ के अदा करने के लिए शरीयत की तरफ़ से वाजिब हैं। लेकिन शरीयत में 'वाजिब' की दो क़िस्में हैं :-

1. तवस्सुली वाजिब (जिसमें नीयत की शर्त नहीं होती) इसके मानी ये हैं कि सिर्फ़ किसी चीज़ का हो जाना वह चाहे किसी तरह भी हो, जैसे आपका कोई कपड़ा नजिस हो उसे पाक करना ज़रूरी है मगर ये ज़रूरी नहीं कि आप नीयत और इरादे के साथ ही ऐसा करें बल्कि अगर आप बिना इरादे और नीयत के उसे हौज़ में डाल दें या आपके अलावा कोई दूसरा आदमी उसे पाक कर दे या हवा का ऐसा झोंका आए जो उसे हौज़ में ले जाकर डाल दे, तब भी वह पाक हो जाएगा।

2. ताअब्बुदी वाजिब - इसके मानी ये हैं कि सिर्फ़ किसी चीज़ का हो जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि इन्सान का एक ख़ास इरादे और नीयत के साथ काम करना है, ये वह चीज़ें हैं जिनमें नीयत की ज़रूरत होती है। वज़ु, गुस्ल (नहान) और तयम्मुम इसी तरह की चीज़ें हैं और वह बग़ैर नीयत के सही नहीं हो सकते।

**नीयत का फ़लसफ़ा**

अगर इस्लाम का मक़सद सिर्फ़ बाहरी संसार का बनाना सँवारना और सिर्फ़ माद्दी (Material) फ़ायदा पहुँचाना होता तो सिर्फ़ हाथ-पैर से यानि बिना नीयत के सिर्फ़ जिस्म से काम काफ़ी होता। नमाज़ का मक़सद अगर सिर्फ़ 'कसरत' करना होता तो वह उठा-बैठी से पूरा हो जाता, और उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। रोज़े का मक़सद अगर सिर्फ़ मेदे, जिगर को सही करना होता तो वह सिर्फ़ फ़ाक़े से हो जाता है उसके साथ कोई मक़सद न होता और अगर वज़ु का मक़सद सिर्फ़ हाथ-मुँह का साफ़ करना होता तो सिर्फ़ पानी तरेड़ियों से (हाथ-मुँह धो लेना) काफ़ी होता, चाहे किसी तरह से भी हो। और तयम्मुम का मक़सद अगर जरासीम (Germs) का मिटाना होता, जिसके लिए मिट्टी ज़हर का काम करती है तो बस मिट्टी का मल लेना ही काफ़ी होता। मगर इस्लाम का मक़सद तो इन्सान की बाहरी दुनिया के साथ-साथ उसकी अन्दर की दुनिया को बनाना और उसकी आत्मा को सँवारना है उसकी रूहानियत को बढ़ाना है। और उसके दिलो-दिमाग़ पर वह असर डालना है जिससे उसके तक़वा (संयम) और परहेज़गारी बढ सके और उसे मन की चाहतों से आज़ादी मिल सके। वही रूहानियत का बढ़ना खुदा की बारगाह में 'कुरबत' (पास होना) है जिसे "*कुर-बतन*

*इलल्लाह''* के शब्दों से बताया जाता है। इसके लिए सिर्फ़ जिस्म के हाथ-पैर का हिलाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत है।

इन्सान की समझ का और जो कुछ वह महसूस करता है उसका असर उसके हालात पर बहुत पड़ता है। ख़ासतौर से वह असर जिसका तालुक़ दिमाग़ से है वह तो सोच-समझ ही से जुड़ा है। ग़ौर कीजिए शाम के वक़्त इन्सान ठन्डी सड़क पर तफ़रीह (मनोरंजन) के लिए जाता है मगर उसे तफ़रीह तभी महसूस होती है जब वह इस ख़्याल से जाए कि वह तफ़रीह के लिए ही जा रहा है। लेकिन अगर अपने किसी काम से वह रोज़ उस ठन्डी सड़क पर जाता हो और उसी रास्ते से वापस आता हो तो हो सकता है कि ठण्डी हवा से और पैदल चलने से उसकी सेहत (Health) पर अच्छा असर पड़े लेकिन जिस चीज़ का नाम 'तफ़रीह' है वह नहीं होगी। बस यही राज़ है जो 'नीयत' में छिपा है।

नमाज़ का ये मक़सद कि उठने-बैठने से कसरत हो जाए, यक़ीनन पूरा हो सकता है मगर ये कि '' नमाज़ शर्म वाली और बुरी बातों से रोकती है'' ये उससे नहीं मिल सकता। रोज़े का ये फ़ायदा कि मेदा सही हो जाए तो वह सिर्फ़ फ़ाक़ा करने से भी हो सकता है। मगर वह जिसे *''लाअल्लकुम तत्तकून''* (कि तुम परहेज़गार संयमी बन सको) के शब्दों से रोज़े का मक़सद बताया गया है वह तो इससे पूरा नहीं होता। बल्कि हो सकता है कि इन्सान कसरत के ज़रिए जिस्मानी ताक़त पा कर और फ़ाक़े से अपने मेदे और अपनी सेहत को अच्छी बनाने के बाद ऐसे गुनाहों को अन्जाम देने लगे जिन्हें उससे पहले अन्जाम नहीं देता था, इस सूरत में तो नमाज़ और रोज़ा गुनाहों के बढ़ जाने की वजह बन सकते हैं, बुराईयों से रोकने और तक़वा (परहेज़गारी) पैदा करने की वजह कहाँ होंगे। ये फ़ायदा उसी नीयत से होगा यानी जब मन के साथ काम होगा यानि वह 'सोच' और 'एहसास' जिसका तालुक़ दिमाग़ से है। अगर वह हालात रोज़ाना पाँच वक़्त पर सही तरीक़े से पैदा हो जाए तो यक़ीन है इन्सान के दिमाग़ में एहसास और असर मज़बूती से बैठ जाएगा जो उसे बुराइयों से रोक सकता है। इसी तरह रोज़े का भी मसला है।

बात यह है कि जब इन्सान कोई काम करता है तो वह काम उसके जिस्म के कुछ हिस्से (अंग) करते हैं, लेकिन आत्मा का तालुक़ पूरे जिस्म के साथ बराबर से है, अब अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो नफ़्स पर सीधा असर डालती हो तो फिर उसका असर इन्सान के पूरे जिस्म पर बराबर से पड़ेगा। इस तरह हो सकता है कि कुरान की कोई छोटी सी आयत ज़बान पर जारी हो, देखने में तो ये एक ऐसा काम है जो बहुत ही थोड़े वक़्त में हो गया, और जिस्म के एक छोटे से हिस्से ने यानि 'ज़बान' ने उसे किया। लेकिन अगर उसी एक आयत से इन्सान के दिल-दिमाग़ पर असर पड़ जाए तो वही एक आयत इन्सान की रूह और जिस्म दोनों की सही तरबियत के लिए काफ़ी हो सकती है, बस 'नीयत' के ज़रिए अ़मल में यही बात पैदा हो जाती है।

**नीयत की असल सच्चाई**

नीयत क्या है ? ये एहसास और समझ कि हम क्या कर रहे हैं ? और किसके लिए कर रहे हैं ? पहले हिस्से में वह सब बातें शामिल हैं जो इस बात को तय करती हैं कि हम कौन सा काम कर रहे हैं यानी ये समझना कि हम नमाज़ यानी जुहर की नमाज़ अगर इसके पहले की भी कोई नमाज़ है तो वह अदा की है या क़ज़ा है ? दूसरा हिस्सा वह है जिसकी तरफ़ *''कुरबतन इलल्लाह''* से इशारा होता है ।

कुछ लोग समझते हैं कि नीयत भी नमाज़ के ज़िक्र (यानी नामज़ में जो कुछ ज़बान से पढ़ा जाता है) की तरह कुछ शब्द हैं जो ज़बान पर लाये जाते हैं, वह नमाज़ पढ़ने में ज़बान से ये शब्दों या बोल का दुहराना ज़रूरी समझते हैं कि '' नमाज़ पढ़ता हूँ, ज़ोहर की चार रकत वाजिब '' *कुर्-बतन इ-लल्लाह* ''। कुछ लोग समझते हैं कि इसमें देर तक कुछ सोंचने की ज़रूरत है, इसलिए उनकी नीयत बड़ी देर में होती है मगर सच्चाई ये है कि नीयत तो 'इरादे' या मन बनाने का नाम है और इरादा खुद किसी 'मनचाहे काम' को कराता है। जैसे एक इन्सान कोठे पर से गिर पड़ता है और एक अपने पैरों से कोठे पर से नीचे उतरता है। यहाँ पहले आदमी का काम उसके इरादे और अख़्तियार अपनी चाह से नहीं हुआ मगर दूसरे का काम उसके इरादे और

चाह से हुआ क्योंकि वह अपने इरादे और अख़्तियार से नीचे उतरा है। इसी तरह वजू और नमाज़ वग़ैरह, ये न हो कि जैसे सोते में कोई नमाज़ पढ़े, या नशे की हालत में हो, या जा रहा हो मुँह धोने मगर भूल से कुहनियों तक हाथ धो ले जैसे वजू में धोते हैं । यहां ये काम बिना नियत और इरादे काम हुआ है, लेकिन अगर वजू करना चाहता है और वजू कर रहा है तो बस यही नीयत है । अब उस पर ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है । जब नमाज़ का वक़्त आया तो आप घर से नमाज़ के लिये निकले, अगर उस वक़्त नमाज़ का ख़याल न होता तो उस वक़्त के पहले ही निकल पड़ते फिर उसी रास्ते पर आए जिससे मस्जिद तक पहुँचते हैं । अगर नमाज़ का ध्यान ना होता तो किसी दूसरे रास्ते पर क्यों नहीं चले गऐ । फिर मस्जिद में आए और जमाअत की सफ़ (लाइन) में आकर बैठे, एक़ामत कहने वाले की '*क़द क़ामतिस्ससलाह*'' की आवाज़ पर खड़े हुए । ये सब कुछ क्या बिना नमाज़ के ख़्याल के हो रहा है ? फिर जब इमाम ने तकबीरतुल एहराम (अल्लाहो अकबर) कह दी तो उसके बाद नमाज़ के शुरू कर देने में आप डरते हैं कि कहीं बिना नीयत न हो, इसके लिये ज़्यादा देर तक हाथों को कानों तक लेजा- लेजा कर पलटाने की क्या ज़रूरत है, बस '*अल्लाहु अकबर*' कह दीजिए। अगर आप सोए हुए नहीं हैं, जाग रहे हैं और होश में भी हैं तो वह *अल्लाहु अकबर*' नीयत और इरादे ही के साथ होगा और इससे ज़्यादा नियत के लिए किसी और चीज़ ज़रूरी नहीं है।

ये इरादा और नीयत मन यानी दिमाग़ के अन्दर छिपी हुई एक ख़ासियत गुण है जिसकी तरफ़ अक्सर इन्सान का ध्यान नहीं जाता । आप ग़ौर करेंगे कि कभी कभी जब आप नमाज़ के लिए खड़े होते हैं, और चाहते हैं कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँ तो दिल में ये ख़्याल आता है कि अस्र की नमाज़ पढ़ता हूँ फिर आप खुद ही अपने आपको टोकते हैं कि नहीं 'अस्र' नहीं ज़ोहर । मालूम होता है कि मन की गहराईयों में कहीं ये बात छिपी है कि आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं वरना खुद ही अपने ख़्याल की ग़लती का एहसास कैसे होता और आप अस्र का ख़्याल करके फिर ज़ोहर की तरफ़ क्यों पलटते । बेशक नियत का वह दूसरा हिस्सा कि " किस के लिए ये नमाज़ है " । इसको सही-सही समझना बहुत मुश्किल चीज़ है। वह मर्तबा (दरजा) मारेफ़त (खुदा की पहचान) से जुड़ा है और हर इन्सान उतना ही अ़मल करता है जितनी उसे मारेफ़त (खुदा की पहचान) होती है। क्योंकि नियत के लिए ठहरने, सोचने से उसमें कोई चीज़ बढ़ नहीं जाती, इसलिए शरीयत में नीयत का सबसे निचला दरजा जो ज़रूरी बताया गया है वह सिर्फ़ उसका ख़्याल कर लेना और उसके साथ किसी दूसरे मक़सद का निगाहों में ना होना, यह वह चीज़ है जिस से अ़मल रस्मी-तौर पर सही हो जाएगा । मगर क़बूल होने की बात इसके आगे है और (खुदा के आगे) गिड़गिड़ाने का स्टेज दूसरा है। दरअ़सल ये वही मगन और ध्यान की ऊँचाई है जिससे नमाज़ में खुलूस खरापन और पैदा होता है। यूँ तो ज़ाहिरी तौर पर जो संस्कार, तरीक़ा बताया गया है उसके लेहाज़ से मैं दस बार इस तरह नमाज़ पढ़ सकता हूँ, जिसमें निगाह सजदेगाह से न हटे, जिस्म का कोई हिस्सा इधर-उधर न हिले, मगर खुलूस का ताल्लुक़ तो बिल्कुल दिल से है जिससे अंग अंग पर का चैन में शान्ति में डूबना ज़रूर है। इसी को इमाम (अ०) ने इरशाद फ़रमाया कि " *लौ ख़-श-अ-क़ल-बहु क़ल्बहू ल-ख़श-अ साइरि जवारिह* " अगर वह दिल में गिड़गिड़ाता तो जिस्म के तमाम हिस्सों पर भी यह गिड़गिड़ाना छा जाता। इसी ध्यान के भरपूर होने का वह दरजा है कि नमाज़ में अल्लाह के अलावा किसी और तरफ़ ध्यान ही न हो, यहां तक कि पैर से तीर खींच लिया जाए। यह बात. मारेफ़त (खुदा की पहचान/ज्ञान की कला डिग्री) से जुड़ी है और इसी लिए वह शरीयत के सामने वाले हुक्मों और रस्मी क़ानून की हदों से ऊपर की मन्ज़िल, स्टेज है :-

" ईन ज़मीन रा आसमाने दीगर अस्त "

(इस धरती का आस्मान दूसरा है।)

अल आमालु बिन्नीयात (काम नीयत से होते हैं)

इबादत (भक्ति) का दारोमदार नीयत पर है। इसी नीयत के ज़रिए से काम में कमाल पैदा होता है । हो सकता है देखने में कोई काम छोटा हो और बहुत कम समय में पूरा हो जाए, लेकिन अगर नीयत सही है

और पूरे खरेपन से वह काम किया गया हो तो वह किसी बड़े काम के बराबर होगा। इसके मानी यही हैं कि *"अ़ल आ़मालु बिन्नीयात"* काम बस नीयतों से जुड़े हैं " बल्कि कभी-2 तो अ़मल होता ही नहीं और यही नीयत है जो भलाई और नजात (मोक्ष) की वजह बन जाती है, मान लीजिए कि एक आदमी है जिसने सच्चे दिल से इस्लाम को कुबूल किया, मगर पहली नमाज़ का वक़्त आने से पहले ही इस दुनिया से गुज़र गया, अब उसने ज़ाहिर में तो कोई काम पूरा नहीं किया, मगर ये जन्नत का हक़दार है। आख़िर बग़ैर नमाज़ पढ़े, ज़कात दिए, हज व जिहाद किये हुए कैसे नमाज़ रोज़े करने वालों की जन्नत में पहुँच गया । वह वही उसकी 'नीयत' है जो उसको जन्नत में जगह दे रही है । इसी वजह से इमाम (अ०) ने फ़रमाया है - " *नी-यतुल मोमिनीन ख़ैरुन मिन अ़मलिही व नी-यतुल काफ़िरू शर्रुन मिन अ-मलिही"*

"मोमिन की नीयत उसके काम से बेहतर है और काफ़िर की नीयत उसके काम से बुरी है ।"

बात ये है कि काम एक हदों में घिरा होता है और माध्यम, व कारणों से बन्धा होता है। हो सकता है कि किसी के पास पैसा ना हो, तो वह ज़कात नहीं दे सकता, बीमार रहता हो इस वजह से रोज़ा नहीं रख सकता, इस्तेताअ़त (मक्का आने-जाने का ख़र्च नहीं रखता) नहीं है इसलिए हज को नहीं जा सकता, अब अगर ज़रिये मौजूद हो तब भी वह इन कामों को एक हद के अन्दर ही अन्जाम दे सकेगा, लेकिन नीयत की कोई हद (सीमा) नहीं है, इसके लिए माध्यम और ज़रिये होने की ज़रूरत नहीं है । अगर एक बिल्कुल बेबस और ग़रीब इन्सान में जोश और वलवला मौजूद है लेकिन ज़रिया ना होने की वजह से वह मजबूर है तो जिस हद तक उसकी चाह ज्यादा होगी उसी हद तक वह सवाब का मुस्तहक़ होगा । अब इसमें क्या शक है कि उसकी नीयत उसके काम से कई गुना बेहतर है, लेकिन बुरे मन वाला काफ़िर नास्तिक इन्सान, हो सकता है उसके पास बुराई और शरारत के ज़रिये कम हों मगर उसके ख़राब हौसले और खोट के इरादे ज़ुल्म अन्याय की आख़िरी हदों तक पहुँच सकते हैं, इसी को समझ कर शायर ने अच्छा कहा है -

"यक हुसैने नीस्त कू गरदद शहीद
वरना बिसयारन्द दर आ़लम यज़ीद"

तर्जुमाः-

(एक हुसैन नहीं हैं जिन्हें शहीद किया गया है वरना दुनया में बहुत से यज़ीद हैं।

इनको इन लफ़्ज़ों में कहा है कि *"नी-यतुल काफ़िरू शर्रुन मिन अ़-म-लिही"* "काफ़िर की 'नीयत' उसके सामने वाले कामों से ज़्यादा खोटी और बुरी होती है"।

जारी............................।



# ख़बर नामा

## ईरान ने सैटेलाइट तैय्यारा बना लिया

ईरान ने एक नया मुल्की साख़्त जहाज़ बनाया है जिसके बारे में हुक्काम का कहना है कि वो रडार से बच सकता है। एक नशिस्त वाले उस जहाज़ को क़ाहिर एफ़ 313 का नाम दिया गया है सद्र महमूद अहमदी नेज़ाद ने कहा है कि उसने दुनिया के जदीद तरीन जहाज़ की तमाम मुस्बत खुसूसियात हासिल करली हैं। उन्होंने कहा कि ईरान की क़ौमी फ़ौजी ताक़त बचाव और देफ़ाई मक़ासिद के लिए है। उन्होंने तेहरान के एक हवाई अड्डे से सरकारी टेलीफ़ोन पर हफ़्ते के दिन तक़रीब रूनुमाई से ख़िताब करते हुए कहा कि वो उस जहाज़ को दुनिया के जदीद तरीन जहाज़ों में से एक समझते हैं। सरकारी टेलीफ़ोन पर जहाज़ की तस्वीरें दिखाई गयी हैं, जिनमें एक खाकस्तरी रंग का जेट दिखाया गया है, जिस के बारे में ईरान के वज़ीर देफ़ाअ अहमद व हैदरी ने कहा कि उसे 'जदीद मैटेरियल' से बनाया गया है और उसे रडार से शिनाख़्त करना बहुत मुश्किल है।

ये तक़रीब इन्क़ेलाबे ईरान की ३४ वीं सालगिरह के मौक़े पर मुनअक़्क़िद की गयी, जिसमें अमरीकी पुश्त पनाही से क़ायम शाह की हुकूमत को गिराकर इस्लामी हुकूमत क़ायम की गयी थी। ईरान ने उसी हफ़्ते में दावा किया था कि उसने पेश गाम नामी राकेट की मदद से ख़ला में कामियाबी से बन्दर भेजने का तजुर्बा किया है और ये राकेट 120 किलो मीटर बुलन्द मदार तक पंहुचा था। मग़रिबी मुमालिक ने उसके जवाब में ख़दशा ज़ाहिर किया है कि ईरान का ख़लाई प्रोग्राम तवील मार मीज़ाइल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिन्हें मुमकिना तौर पर जौहरी अस्लहा ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ईरान इसकी तरदीद करता है और उसका कहना है कि उसका जौहरी प्रोग्राम सिर्फ़ पुर अम्न मक़ासिद के लिए है।

## ईरान तेल की बनिस्बत नई ईजादात से ज़्यादा आमदनी हासिल कर सकता है

ईरान के सद्र महमूद अहमदी नेज़ाद ने दावा किया है कि साइंस व टेकनोलॉजी में तरक़्क़ी के पेश नज़र उनका मुल्क तेल की बनिस्बत नई ईजादात से ज़्यादा आमदनी कर सकता है। आलमी ज़राए अबलाग़ के मुताबिक़ उन्होंने मग़रिब की जानिब से आएद पाबन्दियों को मज़हका खेज़ क़रार देते हुए कहा कि पाबन्दियों का ईरान की माशियत पर कोई असर नहीं हुआ है। मुल्क के मग़रिबी शहर हमदान में वफ़्द से गुफ़्तगू करते हुए महमूद अहमदी नेज़ाद ने कहा कि ईरान तेल की फ़रोख़्त की निस्बत नई ईजादात से 10 गुना ज़्यादा आमदनी हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि मग़रिबी पाबन्दियां इस्लामी जमहूरिया ईरान की साइंसी व टेक्नालॉजी तरक़्क़ी का रास्ता नहीं रोक सकेंगी।

## इस्राईली क़ैद में फ़िलिस्तीनी अराकीन पार्लिमान की तादाद 16 हो गयी

इस्राईली फ़ौज ने 4 फ़रवरी को मग़रिबी किनारे में हमास के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ अपने ब्रके डाउन में तीन फ़िलिस्तीनी अराकीने पारलिमान को भी हिरासत में ले लिया। अराकीने पार्लिमान को बग़ैर किसी कारण के गिरफ़्तार करने वाली दुनिया की वाहिद इस्राईली हुकूमत की उस जारहियत पर एक तरफ़ दुनिया भर में अफ़सोस किया जा रहा है तो दूसरी जानिब आलमी बिरादरी और बैनुलअक़्वामी इदारे मुजरिमाना ख़ामोशी इख़्तियार किये हुए हैं। उन तीन आदमी की गिरफ़्तारी के बाद सहयूनी जेलों में फ़िलिस्तीनी मजलिसे क़ानून साज़ के अराकीन की संख्या 16 हो गयी है। असीराने मरकज़ की जानिब से जारी किए गये बयान में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर किए गये आप्रेशन में मुख़्तलिफ़ शहरों और देहातों से 25 से अधिक शहरियों को गिरफ़्तार किया गया था जिनमें हमास के रहनुमाओं और अराकीने पार्लिमान के साथ मक़ामी ओहदेदार और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भी शामिल थे। असीरों के हुक़ुक़ के लिए सरगर्म तन्ज़ीम ने कहा कि इस्राईल ने गुज़श्ता साल नवम्बर में 8 दिन तक ग़ाज़ा पर बम्बारी के बाद अपनी पकड़ धकड़ मुहिम में 6 अराकीने पार्लिमान को गिरफ़्तार किया था।

# मस्जिदे अक़्सा के मराक़शी दरवाज़े के क़रीब इस्राईली खुदाइयां तेज़

अक़्सा फ़ाउण्डेशन बराए वक़्फ़ व आसार क़दीमा ने ख़बरदार किया है कि मस्जिदे अक़्सा के मराक़शी दरवाज़े के रास्ते पर इस्राईल ने खुदाइयां तेज़ कर दी हैं, ये खुदाई दीवारे बराक़ (दीवारे गिरयाँ) से लगे हुए सहन को तौसीअ देने के हवाले से की जा रही हैं। फ़ाउण्डेशन ने बताया कि इस्राईली हुक्काम ने खुदाई करने वाले मज़दूरों और उनके काम के समय को बढ़ा दिया है। अक़्सा फ़ाउण्डेशन को मिली ख़बर के मुताबिक़ इस्राईल यहूदी आबादकारों ख़ास तौर पर यहूदी स्त्रियों के लिए मराक़शी दरवाज़े के उस रास्ते पर एक कनीसा बनाना चाहता है। हर दिन इस सहन में आने वाले यहूदियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तफ़सीलात के अनुसार इस्राईली हाकिमों ने स्त्रियों के लिए नयी इबादतगाह को बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। अक़्सा फ़ाउण्डेश ने बताया कि हालिया खुदाई को क़रीब से देखने वालों का कहना है कि ये खुदाई बुराक़ सहन के बिल्कुल क़रीब हैं, इस्राईल की जानिब से तेज़ी से हो रही इस खुदाई की तस्वीरें भी खींच ली गयी हैं जिससे मालूम होता है कि इस्राईल मराक़शी दरवाज़े की जानिब जाने वाले उस रास्ते पर अधिकार कर रहा है। अक़्सा फ़ाउण्डेशन का कहना है कि मराक़शी दरवाज़ा और उसकी तरफ़ आने वाला रास्ता मस्जिदे अक़्सा का अटूट अंग है, जिससे किसी तरह का इन्कार नहीं किया जा सकता।

# ईरान के जौहरी मुल्क होने में कोई शक नहीं

ईरानी राष्ट्रपति अहमदी नेज़ाद ने कहा है कि ईरान पहले से ही जौहरी मुल्क है, उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, हमारे पास एटमी जौहरी सलाहियतें होने के बावजूद किसी के विरोध में उसका प्रयोग करने का कोई इरादा नहीं। राष्ट्रपति अहमदी नेज़ाद ने अपने देश को नियमानुसार जौहरी ताक़त क़रार देते हुए ये कहा है कि उसके साथ तमाम देश इसी तरह सुलूक करें। मिस्र यात्रा के दौरान एक मक़ामी अख़बार को इन्टरव्यू देते हुए कहा कि ईरान के जौहरी ताक़त होने में किसी को शक नहीं होना चाहिए। एक ऐसा देश जो पहले से इन्डस्ट्रियल और जौहरी ताक़त हो, जो इन्सानी मिशन खलॉ में भेजने की तैय्यारियों में लगा हो, उसके साथ उसी तरह का सुलूक करना ज़रूरी है जैसे सारे जौहरी देशों के साथ किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस्राईल का रवैया हमेशा जारहाना रहा। ईरान ने अपनी तमाम तर तवज्जो अपनी तरक़्क़ी तक मरकूज़ कर रखी है और जौहरी ताक़त होने के बावजूद अपनी सलाहियतों को इस्राईल के विरोध में प्रयोग करने का कोई इरादा नहीं है।

# अलकुद्स की मुतअद्दिद कालोनियों में फ़िलिस्तीनी नवयुवकों और इस्राईली फ़ौज में तसादुम

इस्राईली जेलों में क़ैद फ़िलिस्तीनी क़ैदियों से इज़हारे यकजहती के लिए होने वाली एहतेजाजी रैलियों के समय पर मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस की मुतअद्दिद रेहाइशी कालोनियों और मुहाजिरी कम्पनियों में सहयूनी फ़ौजियों और मज़ाहेरीन के दरमियान झड़पें हुईं जिनमें कई फ़िलिस्तीनी घायल हो गये। पुराने अलकुद्दस शहर की जुनूबी मुयिनसिपालिटी सलवान में फ़िलिस्तीनी नौजवानों और सेक्योरिटी फोरसेज़ में होने वाली लड़ाई में कई फ़िलिस्तीनी घायल हो गये। मुज़ाहेरीन को ख़त्म करने के लिए की जाने वाली आंसू गैस शैलिंग से कई नवयुवक घायल हुए, शिमाली अलकुद्दस की मियुनिसिपलिटी अलअयूसा में एक 9 साल के बच्चा सर में गोली लगने से घायल हो गया, उसकी हालत ख़तरे से बाहर बताई जाती है। ये झड़पें 8 फ़रवरी शुक्रवार की रात में उस वक़्त आरम्भ हुई जब इस्राईली हुक्काम ने 200 दिनों से एहतेजाजी भूख हड़ताल करने वाले क़ैद सामरूल यअसावी से इज़हारे यकजहती के लिए लगाए गये कैम्प उखाड़ने की कार्यवाही आरम्भ की, उसी के बाद झड़पें शुरू हो गयीं। मुज़ाहेरीन के पथराव और शीशे की ख़ाली बोतलों के हमले से कई इस्राईली फ़ौजी भी घायल हुए।